राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3751/2021

मनीषी लालस **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, द्वितीय मंजिल, ब्लॉक–6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 13.09.2021
आदेश की दिनांक : 11.07.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री नरेन्द्र कुमार सैनी, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

.प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 29.05.2020 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को नगरीय आवास किराया भत्ता उपनिदेशक के पद पर कार्यग्रहण तिथि से स्वीकृत किया जावे और शेष राशि मय 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान के आदेश फरमाये जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति व्याख्याता अंग्रेजी के पद पर आदेश दिनांक 15.01.2011 को हुई थी, और उसे राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय बिलौची पदस्थापित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को भिन्न–भिन्न स्थानों पर स्थानान्तरण किया गया। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 29.06.2018 के द्वारा अपीलार्थी को उपनिदेशक के पद पर राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान पदस्थापित किया गया और दिनांक 02.07.2018 को कार्यग्रहण किया तथा दिनांक

20.08.2018 को डीडीओ का अधिकार दिया गया। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.08.2018 के द्वारा उक्त संस्थान को महापुरा स्थापित किया गया। परन्तु भवन न होने के कारण उसे कार्यालय संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी जयपुर के द्वितीय तल पर स्थापित किया गया और इस प्रकार अपीलार्थी एवं अन्य कार्मिक उक्त कार्यालय में कार्य कर रहे है और इस प्रकार अपीलार्थी मकान किराया भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी है। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार किराया भत्ता भुगतान किया जा रहा है जो न्यायोचित नहीं है। चूँकि उक्त कार्यालय जयपुर शहर में संचालित है और अपीलार्थी भी जयपुर शहर में ही अपनी सेवाऐं दे रहा है। इस प्रकार अपीलार्थी शहरी मकान किराया भत्ता प्राप्त करने का अधिकार है। अपीलार्थी उक्त मामले के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन दिनांक 27.06.2019, 09.12.2019 को प्रस्तुत किया, परन्तु कोई निराकरण नहीं किया गया। उनका कथन है कि उक्त कार्यालय का भवन निर्माणाधीन है और इस प्रकार अपीलार्थी उक्त कार्यालय शहर में स्थापित होने के कारण जयपुर शहर में ही सेवाऐं दे रहा है। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा शहरी मकान किराया का भुगतान नहीं किया जा रहा है। जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 29.05.2020 को अपास्त फरमाया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को नगरीय आवास किराया भत्ता उपनिदेशक के पद पर कार्यग्रहण तिथि से स्वीकृत किया जावे और शेष राशि मय 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान के आदेश फरमाये जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान महापुरा के कार्यालय को संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी जयपुर संभाग जयपुर के कार्यालय के द्वितीय तल पर भवन के अभाव में अस्थाई रूप से स्थानान्तरण किया गया था और महापुरा के कार्यालय को शिफ्ट करने की राज्य सरकार के स्तर से सक्षम स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है और उक्त कार्यालय महापुरा में ही खोले जाने की घोषणा की गई थी और इस प्रकार भवन निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन होने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था बतौर संभागीय कार्यालय जयपुर के भवन में संचालित किये जाने के कारण संस्थान में कार्यरत कार्मिकों को

जयपुर शहर का मकान किराया एवं शहरी भत्ता देय नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति व्याख्याता अंग्रेजी के पद पर आदेश दिनांक 15.01.2011 को हुई थी, और उसे राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय बिलौची पदस्थापित किया गया। आदेश दिनांक 29.06.2018 के द्वारा अपीलार्थी को उपनिदेशक के पद पर राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान पदस्थापित किया गया। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.08.2018 के द्वारा उक्त संस्थान को महापुरा स्थापित किया गया। परन्तु भवन न होने के कारण उसे कार्यालय संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी जयपुर के द्वितीय तल पर स्थापित किया गया और इस प्रकार अपीलार्थी एवं अन्य कार्मिक उक्त कार्यालय में कार्य कर रहे है, परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार किराया भत्ता भुगतान किया गया है जो नियम विरूद्ध है। जबकि उक्त कार्यालय जयपुर शहर में संचालित है और अपीलार्थी भी जयपुर शहर में ही अपनी सेवाऐं दे रहा है। जहां तक अपीलार्थी को शहरी क्षेत्र का आवास किराया भत्ता का भुगतान नहीं किये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के तर्क से सहमत नहीं हैं। आदेश दिनांक 27.08.2020 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त संस्थान संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, जयपुर संभाग, जयपुर के कार्यालय के द्वितीय तल पर शिफ्ट करने की स्वीकृति प्रदान की गई है और इस प्रकार उक्त कार्यालय जयपुर से ही संचालित होता रहा है एवं अपीलार्थी उक्त कार्यालय में जयपुर शहरी क्षेत्र में ही सेवायें देता रहा है। दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का मुख्यालय जयपुर शहर में रहा है, जहां पर उसने अपनी सेवायें दी हैं। अपीलार्थी को विभाग द्वारा कार्य व्यवस्थार्थ के तौर पर पदस्थापित नहीं किया गया है बल्कि उसका पदस्थापन नियमानुसार रिक्त पद के विरूद्ध है। इस प्रकार हमारे मत में अपीलार्थी जयपुर शहरी क्षेत्र का आवास भत्ता प्राप्त करने का हकदार है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को ग्रामीण क्षेत्र का आवास भत्ता दिया गया है, जो नियमानुसार उचित

प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी ने सेवाभिलेख के आधार पर जिस पद पर राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, जयपुर संभाग, जयपुर में सेवायें दी हैं उतनी अवधि का शहरी क्षेत्र का आवास किराया भत्ता नियमानुसार प्रदान किया जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य